सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं का मैनुअल

वर्ष 2015–16

उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

प्रस्तावना

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुच्छेद धारा–4 के अर्न्तगत विभिन्न कार्यालयों, विभागों में कथित अधिनियम की धारा–4 के अर्न्तगत 17 मैनुअल्स बनाये जाने का प्राविधान है। उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अधिनियम की धारा–4 के प्राविधानानुसार निर्धारित 17 मैनुअलों के अर्न्तगत इस कार्यालय के विभिन्न कार्यकलापों से सम्बन्धित सूचनाओं को एक स्थान पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। प्रत्येक मैनुअल में वर्गीकृत सूचना उपलब्ध रहेगी, ताकि नागरिकों द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु जब भी आवेदन किया जायेगा तो आधारभूत सूचनायें इन मैनुअलों में ही उपलब्ध हो जायेगी, तथा शेष सूचनाओं के लिये अन्य श्रोतों का आश्रय लेना होगा ।

मैनुअल – 1

उत्तराखण्ड कैम्पा की विशिष्टियां, कृत्य और कर्त्तव्य

उत्तराखण्ड कैम्पा की विशिष्टियॉ, कृत्य एवं कर्तव्य

भूमिका :–

उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा **उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)** का गठन शासनादेश सं0–3495/x-2-2009-7(6)/2004 दिनांक 10 नवम्बर, 2009 द्वारा किया गया। उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या– 1922/x-2-2012-7(6)/2004 टी0सी0 दिनांक 08.11.2012 द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा प्राधिकरण के गठन को अधिसूचित किया गया। कैम्पा द्वारा, किये जाने वाले कार्यों में वन भूमि हस्तान्तरण के एवज में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा की गई धनराशि से, क्षतिपूरक वनीकरण, वन संसाधन प्रबन्धन, प्राकृतिक वनों का संरक्षण, वन्य जीवों का प्रबन्धन तथा वन क्षेत्र से सम्बन्धित बुनियादी ढांचे का विकास और सम्बद्ध कार्यों की गतिविधियों में तेजी लाना है।

उत्तराखण्ड कैम्पा की विशिष्टियॉ, कृत्य एवं कर्तव्य निम्न प्रकार से हैं :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इनका संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा) है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत होगी।

परिभाषाएं

2. जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हों, इसमें:–

(क) ''प्राधिकरण'' से इस अधिसूचना द्वारा गठित उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा) अभिप्रेत है;

(ख) ''कार्यावन्वयन अभिकरण'' से सम्बन्धित वन/वन्य जीव प्रभाग, वन प्रचायत को सम्मिलित करते हुए सामुदायिक उपभोगता समूह, एवं/अथवा अन्य उपयुक्त व्यवसायिक अभिकरण, जो राज्य सरकार के उपार्जन नियामों के अन्तर्गत काम में लगाया गया हो और उत्तरारखण्ड कैम्पा के उद्देश्य और लक्ष्यों की पूर्ति तथा कार्य करता हो, अभिप्रेत है;

(ग) ''तदर्थ कैम्पा'' से मा0 सर्वोच्च न्यायालय के 1995 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 202, I.A. संख्या 827,1122,1216, 1473 में पारित आदेश दिनांक 05.05.2006 के क्रम में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत रचित अस्थायी संख्या अर्थात् प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण अभिप्रेत है।

उत्तराखण्ड कैम्पा के लक्ष्य एवं उदद्वेश्य

3. प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित की वृद्वि का प्रयास किया जायेगाः अर्थात्–

(क) वर्तमान प्राकृतिक वनों का संरक्षण, सुरक्षा पुनरोत्पादन तथा प्रबन्ध;

(ख) वन्यजीवों तथा रक्षित वन क्षेत्रों, जिसमें रक्षित क्षेत्रों की सुदृढता भी सम्मिलित है, के भीतर तथा बाहार उनके प्राकृतावास का संरक्षण, सुरक्षा तथा प्रबन्धन;

(ग) क्षतिपूरक वनीकरण;

(घ) पर्यावरण सेवायें, जिसमें निम्नलिखित शामिल है :–

(एक) काष्ठ, अकाष्ठ वनोपज, जलाऊ लकडी चारा तथा जल जैसी सामग्री और लब्धतचारागाह, पर्यटन, वन्य जीव संरक्षण एवं जीवन रक्षक जैसी सेवायें उपलब्धताः

(दो) जलवायु नियंत्रण, रोग नियंत्रण, बाढ़ संतुलन, विषहरण, कार्बन

संचय एवं स्वस्थ मृदा, वायु और जल की व्यवस्था;

(तीन) पारिस्थितिक प्रणालियों, आध्यात्मिक, मनोरंजन, सौन्दर्यपरक, प्रेरणात्मक, शैक्षिक और प्रतीकवाद से प्राप्त अभौतिक फायदे;

(चार) पारिस्थितिक सेवाओं, जैवविधित, पुष्टिकर चक्र तथा प्रारम्भिक उत्पादन जैसी अन्य सेवाओं के लिए आवश्यक समर्थन;

(ड) अनुसन्धान, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।

उत्तराखण्ड कैम्पा के कार्य

4. उत्तराखण्ड कैम्पा के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य शामिल होंगेः अर्थात् :–

(क) वन संरक्षण अधिनियम, 1990 के तहत् गैर वानिकी कार्यो के लिए वन भूमि के परिवर्तन के ऐवल में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु वित्त पोषण एवं निगरानी कर बढावा देना;

(ख) कार्यक्रम के अधीन वित्त पोषण वनो, वन्य जीव संरक्षण और संरक्षण कार्यो की देखरेखः

(ग) संरखित क्षेत्रों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्राप्त धन के संबंध में एक अलग खाते को बनाए रखना;

(घ) कार्यक्रम के लिए पारदर्शिता की संरचना, जन समर्थन जुटाना तथा जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन को उनके प्राकृतिक पर्यावरण सहित सुरक्षा और सुधार के लिए युवाओं और छात्रों के स्वैच्छिक आन्दोलन को बढावा देना;

(ड़) निधि की दो प्रतिशत तक की धनराशि इसी आशय से अलग रखते हुये परिमाणयुक्त मूल्यांकन, अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) प्रणाली तथा कुशल निष्पादन सुनिश्चित करना।

उत्तराखण्ड कैम्पा का मुख्य कार्यकारी अधिकारी

5. प्राधिकरण के प्रशासन एंव दैनिक कार्यकलापों के लिए वन संरक्षक/मुख्य वन वन संरक्षक पद का एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार प्रारम्भ में तीन वर्ष के लिए करेगी, जिसे 5 वर्षो तक बढाया जा सकता है अथवा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाये।

शासी निकाय के सदस्य तथा कार्य

6. **<u>उत्तराखण्ड कैम्पा की संरचना</u>**

(1) प्राधिकरण की शासी निकाय में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात् :–

(क) मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड शासन –अध्यक्ष

(ख) वन एवं पर्यावरण मंत्री, उत्तराखण्ड शासन –उपाध्यक्ष

(ग) वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड शासन – सदस्य

(घ) नियोजन मंत्री, उत्तराखण्ड शासन –सदस्य

(ड) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन –सदस्य

(च) प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन –सदस्य

(छ) प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन –सदस्य

(ज) प्रमुख सचिव, नियोजन, एवं उत्तराखण्ड शासन —सदस्य
(झ) प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड —सदस्य
(ञ) प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड शासन —सदस्य
(ट) मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड शासन —सदस्य
(ठ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी —सदस्य

(2) शासी निकाय के निम्नलिखित कार्य होंगेः अर्थात् :—

(क) प्राधिकरण के कार्य के लिए वृहद नीतिगत ढ़ांचे का निर्धारण करनाः

(ख) समय—समय पर प्राधिकरण के कार्य की समीक्षा करना तथा शासी निकाय की बैठक प्रत्येक वर्ष में कम एक बार सम्पन्न की जाएगी,किन्तु अध्यक्ष निर्णय लेकर इससे पूर्व अथवा किसी भी अन्तराल से बैठक बुला सकता है।

(ग) शासी निकाय किसी भी अधिकारी/व्यक्ति को विशेष आमंत्री के रूप में आमंत्रित कर सकता है। प्राधिकरण के प्रशासन, प्रबन्धन और उसकी कार्य सम्पन्नता हेतु शासी निकाय इसके अनुरूप निनियम संरचित करेगा तथा आवश्यकतानुसार इस प्रकार संरक्षित विनियमों में बढाना, संशोधित करना, परिवर्तित करना अथावा निरसन करेगा।

संचालन समिति के सदस्य तथा कार्य

7. (1) प्राधिकरण की संचालन समिति में निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

(क) मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन —अध्यक्ष
(ख) प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन —उपाध्यक्ष
(ग) प्रमुख सचिव वित्त एवं उत्तराखण्ड शासन —सदस्य
(घ) प्रमुख सचिव, नियोजन , उत्तराखण्ड शासन —सदस्य
(ड) प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड —सदस्य
(च) प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड —सदस्य
(छ) मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड —सदस्य
(ज) अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड —सदस्य
(झ) अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी—वन संरक्षक, भूमि संर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड —सदस्य
(ञ) पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि —सदस्य
(ट) ख्याति प्राप्त दो गैर सरकारी संगठन, जिसे राज्य सरकार द्वारा एक बार में दो बर्ष के लिए नामित किया जायेगा, जो पुनः नामांकन के लिए पात्र हो सकते है। —सदस्य
(ठ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा —सदस्य—सचिव

(2) संचालन समिति के निम्नलिखित कार्य होंगें अर्थात्:—

(क) प्राधिकरण के मूल सिद्वान्तों और काग्रकारिणी के उद्वेश्यों को ध्यान मे रखते हुए समिति हेतु कार्यविधि की संरचना, नियम और कार्यविधि निर्धारित करना

(ख) प्राधिकरण द्वारा अवमुक्त की गयी निधि के उपयोग की प्रगति का

अनुश्रवणः

(ग) प्राधिकरण की कार्यकारी समिति द्वारा रचित वार्षिक कार्ययोजना को अनुमोदित करनाः

(घ) प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट और अंकेक्षित लेखों का अनुमोदन :

(ड) प्राधिकरण के कार्यो की सुचारू सम्पादनार्थ अंतर्विभागीय समन्वय को सुनिश्चित करना :तथा

(च) संचालन समिति की बैठक प्रति छः माह में सम्पन्न की जाएगी, किन्तु अध्यक्ष निर्णय लेकर इससे पूर्व अथवा किसी भी अन्तराल से बैठक बुला सकता है।

कार्यकारी समिति के सदस्य तथा कार्य

8. (1) प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होगेंः अर्थातः–

(क)	प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड	–सदस्य
(ख)	प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड	–उपाध्यक्ष
(ग)	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड	–सदस्य
(घ)	प्रमुख वन संरक्षक परियोजनाएं, उत्तराखण्ड	–सदस्य
(ड)	अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड	–सदस्य
(च)	अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी–वन संरक्षण	–सदस्य
(छ)	वित्त नियंत्रक, वन विभाग	–सदस्य
ज)	(ख्याति प्राप्त दो गैर सरकारी संगठन, जिसे राज्य सरकार द्वारा एक बार में दो बर्ष के लिए नामित किया जायेगा, जो पुनः नामांकन के लिए पात्र हो सकते है।	–सदस्य
(झ)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा	–सदस्य–सचिव

(2) प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगेः अर्थात् :–

(क) प्राधिकरण के व्यापक उद्वेश्यों और हित में मूल सिदान्तों और नियमों को ध्यान में रखते हुए संचालन समिति से अनुमोदित वार्षिक योजना के अधीन कार्यो के लिए प्रक्रियाओं के अनुमोदन हेतु कदम उठाएगी;

(ख) विभिन्न गतिविधियों के एिल पृथक–पृथक मदवार विवनरण देते हुए प्रस्तावित गतिविधियॉ और अनुमानित लाग की स्वीकृति हेतु वार्षिक योजना तैयार कर, इसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए दिसम्बर के अन्त तक संचालन समिति की सहमति हेतु प्रस्तुत करेगी;

(ग) प्राधिकरण से अवमुक्त की गई निधि से लिए जा रहे कार्यो का पर्यवेक्षण करेंगी।

(घ) निधि में प्राप्ति और व्यय की उचित लेखा परीक्षण के लिए जिम्मेदार होंगी

(च) समीक्षा/विचारार्थ, रिपोर्ट संचालन समिति प्रस्तुत करेगीं।

(ज) प्राधिकरण की निधि से कार्यान्चयन अभिकरण स्तर पर किए जाने वाले विभिन्न कार्यो की प्रशासनिक /वित्तीय स्वीकृत कार्यकारी समिति द्वारा दी जायेगी। कार्यकारी समिति द्वारा यह अधिकार अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रतिनिधानित किया जा सकता है।

(झ) कार्यकारी समिति की बैठक प्रति तीन माह में सम्पन्न की जायेगी, किन्तु अध्यक्ष निर्णय लेकर इससे पूर्व अथवा किसी भी अन्तराल से बैठक बुला सकता है।

उत्तराखण्ड कैम्पा की बैठक आहूत करना, गणपूर्ति कार्य–सूर्ची तथा बैठकों के कार्यवृत्त

9. (1) प्रत्येक शासी निकाय अथवा संचालन समिति अथवा कार्यकारी समिति कीबैठक का आयोजन हेतु दस दिन पूर्व सूचना दी जाएगी :
परन्तु यह है कि अध्यक्ष अपने विवेकानुसार आपत बैठक की स्थिति में समय सीमा कम कर सकता है।

(2) किसी भी बैठक की गणपूर्ति हेतु शासी निकाय अथवा संचालन समिति अथवा कार्यकारी समिति के क्रम से कम दो तिहाई सदस्य पर्याप्त होंगे। गणपूर्ति में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा सदस्य–सचिव का होना आवश्यक होगा।

(3) शासी निकाय अथवा संचालन समिति अथवा कार्यकारी समिति की सभी बैठकों का संचालन अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। सम्बन्धित अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक के संचालन होंगे

(4) शासी निकाय एवं संचालन समिति कार्यकारी के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा। सभी मामले बहुमत द्वारा निर्णित किए जाएंगे। मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।

(5) शासी निकाय अथवा संचालन समिति अथवा कार्यकारी समिति की बैठक की कार्यसूची बैठक से कम से कम सात दिन पूर्व सदस्यों के बीच प्रचारित की जाएगी।

प्ररन्तु यह कि संस्थ या शासी निकाय अथवा संचालन समिति अथवा कार्यकारी समिति का कोई सदस्य पूरे एक सप्ताह का समय देते हुए या संबंधित अध्यक्ष अथवा अध्यक्षकता करने वाले सदस्य की अनुमति से संस्था या शासी निकाय अथवा संचालन समिति अथवा कार्यकारी समिति की बैठक का प्रस्ताव रख सकता है।

(6) कार्यप्रणाली पर उठे प्रश्नों पर अध्यक्ष के आदेश अन्तिम और सर्वमान्य होंगे।

(7) बैठक का कार्यवृत्त सदस्य–सचिव द्वारा अभिलिखित कर शासी निकाय या संचालन समिति या कार्यकारी समिति के सदस्यों के बीच परिचालित किया जाएगा। कार्यवृत्त को किसी भी प्रस्तावित संशोधन के साथ अनुमोदन के लिए अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यवृत्त की पुष्टि के बाद संबंधित अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किये जाने पर, कार्यवृत्त पंजिका में दर्ज किया जाएगा।

(8) सभी आदेशों के शासी निकाय या संचालन समिति या कार्यकारिणी समिति के निर्णयों को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड, कैम्पा हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणीकृत किया जाएगा।

(9) जिन मामलों पर इस योजना के अन्तर्गत शासन की संस्तुति अनिवार्य है और जिन्हें शासन को पूर्ण विवरण सहित अलग से प्रस्तुत किया जाएगा,को छोड कर शासी निकाय या संचालन समिति या कार्यकारी समिति की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

(10) प्राधिकरण के गैर सरकारी सदस्य और प्राधिकारण या शासी निकाय या संचालन समिति या कार्यकारिणी समिति द्वारा गठित किसी भी समिति को यात्रा व दैनिक भत्ता वित्तीय हस्त पुस्तिका के भाग–तीन के नियम 20 के अनुसार उत्तराखण्ड सरकार के इस संमंध में जारी–नवीनतम अधिसूचना के साथ पढते हुए अनुमन्य होगा।

उत्तराखण्ड कैम्पा निधि का स्रोत

10. प्राधिकरण के खातें में निम्न प्रकार से निधि/राशियॉ प्राप्त व जमा की जायेंगी–

(क) तदर्थ कैम्पा द्वारा दी गइग धनराशि।

(ख) प्रतिपूरक वनीकरण, अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण, दण्डात्मक क्षतिपूरक वनारेपण, एन0पी0वी0 जलग्रहण क्षेत्र उपचार अथवा वन (सरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करते समय केन्दीय सरकार द्वारा रखी गई शर्तों के अनुपालन में कोई धनराशि :

(ग) उपभोगता अभिकरण से पूर्व प्राप्त अप्रयुक्त निधि, जो तदर्थ कैम्पा एकाउन्ट में हस्तांतरित नहीं कराई जा सकीः

(घ) रक्षित क्षेत्रों अर्थात् जैवविधिता और वन्यजीवों के संरक्षण हेतु संचालित गतिविधियों के वास्ते वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18, 26–क या 35 द्वारा अधिसूचित क्षेत्र, मे दी गयी वनभूमि के संबंध में उपभोगता अभिकरण से प्रत्याहरणीय निधि, को पृथक शीर्ष में रखा जाएगाः

(ड) उस वनभूमि का, जो गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु परिवर्तित किया गया है, का वह शुद्व वर्तमान, मूल्य जो वन संरक्षण अधिनियम, 1980 तथा उसके अधीन रचित नियम और मार्ग निर्देशों के अन्तर्गत एवं उच्चतम न्यायालय के दिनांक 29 अक्टूबर, 2002 के निर्णय के अनुपालन में जमा कराया गया हैः–

(च) राज्य सरकार प्राधिकरण के खाते मे निम्न राशियां भी जमा कर सकती है–
(एक) अनुदान अथवा सहायता, यदि कोई प्राप्त हुईः
(दो) प्राधिकरण द्वारा लिया गया कोई ऋण अथवा उसके द्वारा माग गया कोई ऋणः
(तीन) प्राधिकरण द्वारा लाभ, उपहार दान या उसके लक्ष्य एवं उद्वेश्यों से संबंध मे प्राप्त अन्य धनराशि।

उत्तराखण्ड कैम्पा का खाता

11. (1) प्राधिकरण को प्राप्त धन को राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रचलित ब्याल वाले खातों में जमा कराया जाएगा तथा आवश्यकता पडने पर संचालन समिति द्वारा स्वीकृत आहरित की जा सकेगी।

(2) प्राधिकरण का खाता वित्त नियंत्रक (सदस्य कार्यकारी समिति) की सहमति से मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा कार्यकारी अधिकारी समिति के अध्यक्ष के

संयुक्त हस्तारक्षर से संचालित होगा।

उत्तराखण्ड कैम्पा निधि का उपयोग

12. प्राधिकरण में उपलब्ध निधि निम्न प्रयोजनों पर उपयोग की जाएगी।

(क) अनुमोदित वार्षिक योजना अन्तर्गत वनो के रखरखाव और विकास तथा वन्य के प्रबंधन पर

(ख) निधि के निवेश पर अर्जित ब्याज के अंश में से प्राधिकरण के प्रबंधन, जिसमें अधिकारी व कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते सम्मिलित है, पर होने वाले वर्तनीय एवं अनावर्ती व्ययों पर, किन्तु उपभोगता अभिकरण से, उन दशाओं में जहॉ जैवविधिता और वन्यजीवों के संरक्षण हेतु संचालित गतिविधियों के वास्ते परिवर्तित वनभूमि यदि उस क्षेत्र के अन्तर्गत है, जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18, 26–क या 35 द्वारा अधिसूचित किया गया है, प्रत्याहरणीय राशि इस प्रयोजक हेतु उपयोग नही की जायेगी।

(ग) धनराशि का दो प्रतिशत तक सीमांकित राशि अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पन व्यय की जायेगी।

(घ) अन्य वन संरक्षण सम्बन्धी परियोजनाआं पर भुगतानः

(ड) उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अंतर्गत कार्य, सामग्री और सेवाओं का क्रय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 (समय–समय पर किये गये संशोधनों सहित) के समुचित प्राविधानों के अंतर्गत किया जाएगा।

(च) प्राधिकरण की निधि का उपयोग सम्बन्धित कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा किया जायेगा।

उत्तराखण्ड कैम्पा निधि का भुगतान

(1) प्रतिपूरक वनीकरण, अन्य प्रतिपूरक वनीकरण, दण्डात्मक प्रतिपूरक वनीकरण, जलग्रहण क्षेत्र उपचार वन (सरंक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वनभूमि परिवर्तित करने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्तुत स्थल विशेष योजना के अनुरूप ही व्यय की जायेगी

(2) प्राधिकरण, धनराशि प्राप्त हेने के पश्चात्, योजना समापन के एक वर्ष अथवा दो उपज ऋतुओं के अन्दर, प्रतिपूरक वनीकरण निधि में जमा राशि से प्रतिपरूकर वनीकरण पूर्ण कराना सुनिश्चित करेगा।

(3) शुद्व वर्तमान मूल्य के प्रयोजन हेतु प्राप्त धनराशि प्राकृतिक पुनरोपदन, वन प्रबंधन, संरक्षण, अवस्थापना विकास, वन्यजीव संरक्षण एवं प्रबंधन, काष्ठ और अन्य वनोपज के बचाव संयंत्र के आपूर्ति के कार्य तथा अन्य सम्बद्व कार्यो पर व्यय की जाएगी ।

(4) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में अथवा रक्षित क्षेत्र में वनभूमि के परिवर्तन के मामले में राष्ट्रीय वन्यजीव परिषद् द्वारा लिए गए निर्णय के अनुकूल वसूल की गई धनराशि एक मित्र संग्रह के रूप में रखी जाएगी, जिसे अनन्य रूपा से राज्य के रक्षित क्षेत्रों के बचाव औरसंरक्षण कार्यो पर व्यय किया जाएगा।

(5) प्राधिकरण संचालन समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर क्षेत्रीय ईकाइयों को पूर्व निर्धारित किस्तों में धनराशि अवमुक्त करेगा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्य, शक्तियों और कर्तव्य

14. प्राधिकरण संचालन समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर शासी निकाय द्वारा निर्धारित एकीकृत वृहद नैतिक ढॉचे के अन्तर्गत संचालन समिति और कार्यकारी समिति के मार्गदर्शन में पालन का उत्तरदायी होगा। उसका प्राधिकरण के दैनिक कार्यकलानों पर पूर्ण नियंत्रण रहेगा और वह उसके प्रशासन एवं अनुमोदित वार्षिक योजना के कार्यान्वयन का उत्तरदायी होगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे। अर्थात् :–

(क) शासी निकाय या संचालन समिति या कार्यकारिणी समिति की कार्यसूची की संरचना

(ख) भारत सरकार और राज्य सरकार के साथ सभी प्रकार का पत्राचार करना

(ग) उत्तराखण्ड कैम्पा की समस्त सम्पत्तियों और गोपनीय अभिलेखों को प्रभार तथा उनका संरक्षण

(घ) निधि का संचालन : प्राधिकरण की निधि का प्रबन्धन मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रभार में होगा। वह अनुमोदित वार्षिक याजेना के आधार पर कार्यान्वयन अभिकरण को धनराशि अवमुक्त करने हेतु अधिकृत है तथा उसका उत्तरदायित्व लेखों को स्वीकृत और ऑडिट करने एवं कराने का है

(ड) शासी निकाय, संचालन समिति तथा कार्यकारी समिति की बैठकें आयोजि कराने के लिए सभी प्रबन्ध तथा उनमें लिए गए निर्णयों पर समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करना

(च) प्राधिकरण द्वारा निर्गत निर्देशों और आदेशों पर हस्ताक्षर करना

(छ) प्राधिकरण में कार्यरत किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को कम करने और कार्यदायी संस्था/वन विभाग के अधिकारियों से पत्रावलियॉ, अभिलेख और दस्तावेजों और अध्ययनार्थ तलब करने की शक्ति

(ज) लेखों, वाउचरों, बिल अन्य अभिलेखों और भण्डार की जांच के साथ ही कैम्पा निधि से अवमुक्त राशि से किए गए कार्यों के आकस्मिक निरीक्षण करना तथा गुणात्मक और परिमाणयुक्त अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

(झ) संचालन समिति या कार्यकारिणी समिति के समक्ष उनके समीक्षार्थ/विचरार्थ परिणाम आधारित अनुश्रवण और मूल्यांकन पद्धति की पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित कराना तथा सूचनाओं व विवरणों का समयबद्ध प्रस्तुतिकरण

(ञ) कार्यान्वयन अभिकरण स्तर पर लेखों के रखरखाव, निधि की आय औरव्यय काउचित लेखा परीक्षण, सुस्थित लेखा पद्धति, आन्तरिक लेखा परीक्षण, नवीनीकरण तथा अच्छे व्यवहार, अनुपालन परिणामपत्र एवं नियंत्रण पद्धति की प्रक्रिया लागू करना

(ट) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा के अध्यक्ष रहेंगे, जो प्रभावकारी एवं प्रगुण पकड़ सुनिश्चित करेंगे तथा उसकी अपेक्षित कार्मिक के स्थापन की दिशा में संविदा/सेवादायी संस्था के माध्यम से नियोजित करने में पूर्ण शक्ति निहित रहेगी

(ठ) प्राधिकरण कार्यालय के सुचारू संचालन हेतु कार्यकारी अधिकारी सभी

दायक अधिकृत स्वीकृत और पारित करेंगे तथा प्राधिकरण निधि से कार्यान्वयन अभिकरण स्तर पर किए जा रहे कार्यों का अनुश्रवण और मूल्यांकन करेंगे

(ङ) वह पश्चाद्वर्ती किस्त की अदायगी को रोकने में सक्षम हैं :

परन्तु यह कि यथासम्भव, और किसी भी दशा में इस प्रकार की रोक से दो मास के पश्चात नहीं, यह मामला कार्यकारी समिति/अध्यक्ष के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाएगा

(ढ़) मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्राधिकरण के शासी निकाय/संचालन समिति/कार्यकारी समिति अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रत्यायुक्त कृत्य और अन्य शक्तियां प्रयोग में लाऐंगें

(ण) वह सम्बन्धित क्रियान्वयन प्रभागों के द्वारा निष्पादित अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के कार्यों की तथ्यात्मक क्षमता मूल्यांकन रिपोर्ट लिखेंगे तथा उनके नियंत्रक, प्राधिकारियों को प्रेषित करेंगें, जिनके द्वारा उनके नियंत्रणाधीन अधिकारियों का कार्य क्षमता की समीक्षा करते समय उक्त क्षमता मूल्यांकन रिपोर्ट को संज्ञान में लिया जायेगा।

उत्तराखण्ड कैम्पा की लेखा पद्धति, अंकेक्षण एवं वार्षिक रिपोर्ट

15. (1) प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विनिर्दिष्ट प्रारूप तथा अवधि में आगामी वर्ष हेतु, संस्था की अपेक्षित आय तथा व्यय दर्शाते हुए, आय–व्ययक तैयार करेगा।

(2) प्राधिकरण वार्षिक योजना के अनुमोदन तथा कार्यान्वयन की प्रक्रिया में विशेष रूप से वित्तीय विनियम और कार्यविधि को अंगीकार करेगा।

(3) प्राधिकरण लेखों तथा अन्य अभिलेखों का उचित रूप से रख रखाव करेगी तथा सम्बन्धित महालेखाकार की सलाह से निर्दिष्ट रूप में लेखों की वार्षिक तालिका बनाएगा।

(4) प्राधिकरण के लेखों का ऑडिट महालेखाकार द्वारा उसके द्वारा निश्चित समय–अन्तराल पर किया जायगा। इस पर महालेखाकार को दिये गये धन का व्यय प्राधिकरण द्वारा वहन किया जायगा।

(5) महालेखाकार अथवा ऑडिट के लिए, उसके द्वारा नियुक्त, अन्य व्यक्ति को वही अधिकार तथा सुविधायें प्राप्त होंगी, जो सरकारी लेखों के ऑडिट में उनको उपलब्ध कराई जाती हैं। वे लेखे, पंजिकायें, सम्बन्धित वाउचर और अन्य कागजात की मांग कर सकते हैं तथा प्राधिकरण के कार्यालय का निरीक्षण भी कर सकते हैं।

(6) प्राधिकरण लेखों को महालेखाकार, अथवा इस आयोजन हेतु उसके द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति, द्वारा प्रमाणित किए जाने के उपरान्त ऑडिट रिपोर्ट के साथ प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार, तदर्थ कैम्पा तथा राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(7) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार को यह अधिकार है कि प्राधिकरण का विशेष अंकेक्षण अथवा कार्यपरक अंकेक्षण कराए।

(8) अन्य बातों के साथ साथ प्राधिकरण की वार्षिक विवरणी में निम्नलिखित उपलब्ध कराना होगा :–

(क) विभिन्न कार्यों और उन पर हुए व्यय का विस्तृत वर्णन;

(ख) प्राधिकरण को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धनराशि का विस्तृत वर्णन; तथा

(ग) ऑडिट रिपोर्ट में दी गयी टिप्पणी।

(9) राज्य सरकार, प्राधिकारण की वार्षिक रिपोर्ट तथा ऑडिट रिपोर्ट को राज्य विधान सभा के पटल पर रखेगी।

उत्तराखण्ड कैम्पा के

16. (1) राज्य में उपलब्ध धनराशि को प्रयोग कर कृत कार्यों के समवर्ती अनुश्रवण

कार्यो पर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

एवं मूल्यांकन हेतु एक स्वतंत्र प्रणाली विकसित की जाएगी तथा धन का सदुपयोग सुनिश्चित करने हेतु उस पर अनुपालन किया जाएगा।

(2) राष्ट्रीय कैम्पा सलाहकार परिषद, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय प्राधिकरण के कृत कार्यों के निरीक्षण तथा वित्तीय ऑडिट हेतु निर्देशित करने के लिए अधिकृत है।

(3) इस बात से संतुष्ट होने पर की अवमुक्त निधि का उपयोग संतोषजनक नही है। राष्ट्रीय कैम्पा सलाहकार परिषद तथा प्राधिकरण के संचालन समिति को शेष धनराशि अथवा उसके किसी अंश के भुगतान को स्थगित अथवा विलम्बित करने का अधिकार होगा।

(4) राज्य सरकार, एक या एक से अधिक व्यक्ति को प्राधिकरण के कार्य और प्रगति कर सकती है। रिपोर्ट की प्राप्ति पर सरकार रिपोर्ट में उठाये गये बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही या निर्देश जारी कर सकती है, जिनका अनुपालन प्राधिकरण के लिए बाध्य होगा।

(5) क्रियान्वयन की आवधिक समीक्षा/अद्यतन रिपोर्ट तथा लेखा, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की रिपोर्ट प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार व केन्द्र सरकार को प्रेषित की जाएगी।

उत्तराखण्ड कैम्पा में पदों का सृजन, संविदा, आवश्यकताओं की पूर्ति और कार्यवाहियां

17. (1) प्राधिकरण के सुचारू संचालन हेतु आवश्यकतानुसार संचालन समिति नये पदो के सृजन को स्वीकृति प्रदान कर सकती है।

(2) कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन उपरान्त प्रतिनियुक्त पर अधिकारी और कर्मचारिवृन्द संस्था के अधीन रहेंगें। प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है। इन अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द पर उनके पैतृक विभाग के सेवा नियम लागू रहेंगें तथा उन्हे पैतृक विभाग में उपलब्ध सभी सुविधायें प्राप्त होगीं। संस्था में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों को अगला ग्रेड दिया जायेगा। संविदारत अथवा सेवा प्रदाता के माध्यम से स्थापित कर्मचारी अनुबन्ध–पत्र में उल्लिखित शर्तों के अधीन होंगे।

(3) सभी संविदा प्राधिकरण के नाम पर तथा उसके पक्ष में की जायेगी, प्राधिकरण की ओर से किसी सामग्री के क्रय, विक्रय अथवा पूर्ति के लिए कोई संविदा या वित्तीय बंध–पत्र प्राधिकरण के शासी निकाय, संचालन समिति, कार्यकारी समिति के किसी सदस्य के साथ अथवा उसके सम्बन्धी अथवा किसी ऐसी फर्म के साथ, जिसमें सदस्य अथवा उसके सम्बन्धी साझीदार अथवा शेयर होल्डर अथवा अन्य साझीदार, ऐसी फर्म में अथवा किसी निजी कम्पनी में, जिनका सदस्य भी सदस्य अथवा निदेशक हो, नही किया जायेगा।

(4) प्राधिकरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से किसी पर दावा दायर कर सकती है या प्राधिकरण पर दावा किया जा सकता है। किसी रिक्ति के उत्पन्न होने अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकरी के कार्यालय अथवा प्राधिकरण के किसी पदाधिकारी के पते में बदलाव आने पर कोई मुकदमा या अनुष्ठान दायर नही किया जा सकता; मुकदमें या अनुष्ठान में प्राधिकरण के विरूद्ध आज्ञप्ति पर न होकर प्राधिकरण की सम्पत्ति पर ही होगी। प्राधिकरण के पदाधिकारी अधिनियम अन्तर्गत किसी आपराधिक दायित्व से नही बच सकते, न ही वे आपराधिक अदालत द्वारा, दोषसिद्ध किए जाने पर, किए गए जुर्माने की अदायगी के लिए संस्थान की सम्पत्तियों पर कोई दावा कर सकते हैं।